

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सारांश 8 मई 2009 को दिया गया

1. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी राघवन समिति द्वारा सिफारिश की गयी है उन्हें तुरंत लागू किया जाये. सफरिश नीचे दी गयी है:

- विश्वास बहाली के उपायों जैसे सलाहकारों की नियुक्ति, जूनियर्स के आने के एक सप्ताह या दो सप्ताह के बाद वरिष्ठ छात्रों का आगमन, संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम, जूनियर्स और वरिष्ठ छात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम जिसको प्रधानाचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा संबोधित किया जायेगा। संगठन बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेल और अन्य गतिविधियों का आयोजन करना ,संकाय सदस्यों का छात्रावास छात्रों के साथ भोजन का प्रावधान उनके संबंधित हॉस्टल में ही करना इत्यादि।
- हर संस्था में एक एंटी रैगिंग समिति और एक एंटी रैगिंग दस्ता होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर रैगिंग के लिये एक निगरानी कक्ष होना चाहिए और उसे अपने अंतर्गत आने वाले कॉलेजों और संस्थानों के साथ समन्वय बना कर रखना चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के स्तर पर भी एक निगरानी प्रकोष्ठ होना चाहिए।
- निजी वाणिज्यिक प्रबंधित की बढ़ती संख्या के प्रकाश में, जो आवास और हॉस्टल संस्था के परिसर के बाहर हैं, ऐसे हॉस्टल और प्रबंधन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और इस तरह के हॉस्टल को शुरू करने की अनुमति स्थानीय पुलिस से लेना अनिवार्य होने के साथ पंजीकृत हॉस्टल या उन्हें रजिस्टर करने की लिए जरूरी है की प्रमुख शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी सिफारिश की जाये। दोनों स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए और संस्थागत अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य है की रैगिंग की परिभाषा में आने वाली सुनिश्चित घटनाओं की अच्छी तरह से जांच हो सके।
- वार्डनों को सभी घंटे में सुलभ होना चाहिए है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे, टेलीफोन और संचार के अन्य साधनों पर भी उपलब्ध हो। इसी प्रकार, अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के टेलीफोन नंबर संस्थानों के प्रमुखों, संकाय सदस्यों, एंटी - रैगिंग के सदस्यों, समितियों, जिला और उप - मंडल के अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों , जहाँ भी प्रासंगिक हो. जरूरतमंद लोगों के लिए व्यापक रूप से या आपात स्थिति में मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए।
- ब्रोशर या पुस्तिका / पत्रक / जिसमे रोकथाम और निवारण की विधियों का खाका होगा, प्रत्येक शैक्षिक सूत्र की शुरुआत में प्रत्येक छात्र के लिए वितरित करना और वचन लेना कि वे रैगिंग में शामिल या रैगिंग में उकसाने वाले किसी भी तरह के कोई भी कार्य में भाग नहीं लेंगे।

- शैक्षिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्रावास में एक पूर्ण कालिक वार्डन होना चाहिए जो छात्रावास के भीतर रहता हो या कम से कम छात्रावास के आसपास रहता हो।
2. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि मानव का मंत्रालय संसाधन विकास, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श में, यूजीसी, एमसीआई, एआईसीटीई और अन्य इसी तरह की नियामक संघटन, डॉ. राज कचरू के सुझाव के अनुसार एक केंद्रीय संकट हॉटलाइन और विरोधी रैगिंग डेटाबेस की स्थापना करने की प्रक्रिया में लगे हुआ थे। माननीय अदालत ने हालांकि कहा कि:
- डेटाबेस की निगरानी का कार्य एक गैर सरकारी एजेंसी को दिया गया, जिसे जनता में विश्वास पैदा करने के लिए तुरंत भारत संघ द्वारा नामांकित किया गया और जो गैर अनुपालन की जानकारी नियामक निकायों और राघवन समिति को प्रदान करेगा।
 - छात्र और उसकी / उसके माता - पिता / संरक्षक, द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक शपथपत्र संग्रहीत किया है जिसमें की हर एक छात्र का विवरण है, डेटाबेस इन्हीं शपथ पत्र के आधार पर बनाया जायेगा।
 - डेटाबेस एक रिकॉर्ड की तरह कार्य करेगा जिसमें रैगिंग की शिकायतों को प्राप्त किया जायेगा और उन पर कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रैगिंग के खतरे को रोकने का विनियम होना चाहिए, यूजीसी को सभी नियामक निकायों जैसे की आईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीआई आदि के द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कचरू की मौत से जुड़े मामले से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि तैयार किये गए निर्देश और नियम पर्याप्त नहीं थे। इसलिए, माननीय अदालत ने आदेश दिया कि इस तरह के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये और जो संस्थानों के प्रशासन के प्रमुखों रैगिंग की रोकथाम में समय पर कदम नहीं लेते हैं और रैगिंग करने वाले को सजा नहीं देते उन्हें दंडित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इस दंड परिणाम के अलावा, विभागीय जांच में भी इस तरह की संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ, प्रशासन / संकाय सदस्यों / गैर शिक्षण स्टाफ, जो रैगिंग की शिकायतों के प्रति उदासीन या असंवेदनशील रवैया प्रदर्शित करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

5. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल छात्र, बल्कि शिक्षण स्टाफ को भी रैगिंग की बीमारियों और उसकी रोकथाम के प्रति अवगत होना चाहिए। गैर शिक्षण स्टाफ, जिसमें प्रशासनिक कर्मचारियों अनुबंध कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड, आदि को भी नियमित रूप से रैगिंग की बुराइयों और परिणाम, से अवगत होना चाहिए।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रिंसिपल या संस्था / विभाग का प्रमुख हर कर्मचारी से एक उपक्रम प्राप्त करेगा, संस्था के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों, संविदा श्रम या तो कैंटीन चलाने के लिए या किसी रूप में परिसर में कार्यरत, वार्ड स्टाफ , सफाई या इमारतों / लॉन रख रखाव आदि के लिए । वह तुरंत रैगिंग की किसी भी मामले में जो करने के लिए आता है रिपोर्ट होगा उसका / उसकी सूचना. जारी करने के लिए सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाएगा की जो कर्मचारी रैगिंग की रिपोर्ट देंगे ऐसे सदस्यों को उनके सर्विस रिकार्ड के रूप में प्रणाम पत्र मिलेगा।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक था कि खुद के माता - पिता / संरक्षक संस्थान के प्रमुख रैगिंग की किसी भी उदाहरण की तुरंत सूचना देना अपनी जिम्मेदारी माने।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनके क्षेत्राधिकार में एक विशेष महाविद्यालय आता है रैगिंग से संबंधित कॉलेज के परिसर में कोई किसी भी तरह की घटना उत्तरदायी लेना होगा और प्रभावी ढंग से रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए, भी तैयार रहना होगा। एक बार केंद्रीय हॉटलाइन / डेटाबेस संकट में पड़े छात्रों की मदद के लिए ऑपरेटिव हो जाता है तो एसएचओ / वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के,जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक विशेष रूप से कॉलेज जाता है, जल्द ही एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रभावी ढंग से घटना के साथ न्याय करेंगे.और संकट हॉटलाइन कर्मचारियों और / या संवाद स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। जससे लोगों में विश्वास जाग्रत हो और वे, भय या देरी के बिना रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करें।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हॉटलाइन डेटाबेस / संकट सहकारी चालू हो जाये, तो राज्य सरकारों को उनके विरोधी रैगिंग विधियों में संशोधन करना होगा और प्रावधान है कि संस्थागत पर दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं।

किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है?

रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से एक या एक से अधिक का गठन है:

- a) कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
- b) कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।
- c) किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
- d) एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
- e) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
- f) कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।
- g) शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।

- h) कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।
- i) कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का सारांश

उच्च शिक्षण संस्थानों, में रैगिंग की बुराई के खिलाफ, 2009

1. प्रस्तावना: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर दिनांक 8.05.2009 और केन्द्र के निर्धारण के विचार में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने और रैगिंग का संकट खत्म करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
2. उद्देश्य: विश्वविद्यालयों से अपने सभी रूपों में रैगिंग खत्म करने, देश में जितने भी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत रैगिंग की हर तरह की, घटनाओं को रोकने का जोर लगाना होगा और जो रैगिंग में भाग लेगा उसे रैगिंग के विनियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
3. किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है: रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से, एक या एक से अधिक का गठन है:
 - a. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
 - b. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।
 - c. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
 - d. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
 - e. एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
 - f. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।

- g. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।
- h. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।
- i. कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र, किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

4. रैगिंग के प्रतिबंध के उपाय: संस्था स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, जिला स्तर आदि पर ढेरो ऐसे उपाय हैं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि छात्रों के लिए जानना महत्वपूर्ण हैं:

- कोई भी संस्थान किसी भी रूप में रैगिंग की रिपोर्ट की घटना को नज़र अंदाज़ नहीं करेगा, और सभी संस्थाओं को सभी आवश्यक उपायों के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन विनियमों, द्वारा रैगिंग को नष्ट करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है चाहे फिर वो संस्था के भीतर हो या बाहर।
- सभी संस्थानों को इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करनी है, किसी को भी रैगिंग करने / या उकसाने का दोषी पाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ सक्रिय रूप से रैगिंग को बढ़ावा देने या एक साजिश का हिस्सा बने हो जो की रैगिंग को बढ़ावा देते हो।
- किसी भी संस्था द्वारा हर सार्वजनिक घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आडियोविडियो या प्रिंट या किसी भी अन्य मीडिया द्वारा, अध्ययन के किसी भी कोर्स में, संस्था में रैगिंग पूरी तरह से निषिद्ध है, और किसी को भी रैगिंग का दोषी सक्रिय या निष्क्रिय रूप से पाया, या एक हिस्सा होने के नाते रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश करने के लिए इन विनियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के टेलीफोन नंबर, सभी संस्था में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों सहित, सीमित संस्था के प्रमुख, संकाय सदस्यों, विरोधी रैगिंग समितियों के सदस्यों और एंटी रैगिंग दस्तों, जिला और उप-संभागीय अधिकारियों, हॉस्टलों के वार्डनों, और अन्य पदाधिकारियों या संबंधित अधिकारियों की विवरणिका, प्रवेश / अनुदेश पुस्तिका या सूचीपत्र में प्रकाशित किया जायेंगे।

- प्रवेश, नामांकन या पंजीकरण के आवेदन के समय छात्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक निर्धारित प्रारूप में एंटी रैगिंग शपथ पत्र और एक और एंटी रैगिंग शपथ पत्र जनक / गार्जियन द्वारा हस्ताक्षर करवा कर जमा कराना अनिवार्य है। इन दोनों शपथ पत्र को वेब से डाउनलोड किया जा सकता है ।
- एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर कोई संकट संदेश प्राप्त होगा तो वो साथ ही संस्थान के प्रमुख, हॉस्टल वार्डन, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को भी प्राप्त होगा, अगर घटना एक संस्था में घटी हो और उस संस्था का संबद्ध विश्वविद्यालय से हो तो संबंधित जिला अधिकारियों और अगर जरूरी हुआ तो,जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक,को भी वेब सक्षम बनाना होगा जिससे की सार्वजनिक रूप में भी सब एक साथ मीडिया और नागरिकों तक पहुँच सके।
- एंटी रैगिंग दस्ते की सिफारिश प्राप्त होने पर या किसी भी रिपोर्ट की घटना के विषय में किसी भी रैगिंग की जानकारी की प्राप्ति , संस्था के प्रमुख को तुरंत निर्धारित करेगा यह मामला दंडात्मक कानून के तहत आता है और यदि हां, तो या तो अपने दम पर या एंटी रैगिंग द्वारा अधिकृत समिति के एक सदस्य के माध्यम से इस संबंध में, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना है, ऐसी जानकारी या सिफारिश की प्राप्ति के चौबीस घंटे, भीतर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ, तहत प्रावधानों के अनुसार उचित दंड देना होगा।
- एक आयोग उपयुक्त डाटाबेस बनाए रखने के लिए निर्मित किया जाएगा, जो की प्रत्येक छात्र अपने शपथ- पत्र द्वारा उसकी पुष्टि करेगा,उसकी / उसके माता - पिता / अभिभावकों और संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित या किसी एजेंसी के माध्यम द्वारा निर्मित किया है और ऐसा डाटाबेस रैगिंग की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति में रिकार्ड के रूप में भी कार्य करेगा।
- आयोग उपयोगिता में एक विशेष स्थिति भी शामिल होगी, किसी भी वित्तीय सहायता या अनुदान सहायता के संबंध में, कोई प्रमाण पत्र, किसी भी सामान्य या विशेष योजनाओं के तहत संस्था आयोग विरोधी रैगिंग कि संस्था के उपायों के साथ ही पालन किया है।
- एक संस्था में रैगिंग की कोई घटना से उसकी मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा या किसी अन्य अधिकृत मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा, रैकिंग/ ग्रेडिंग प्रमाण देने के लिए संस्था का आकलन करना।
- आयोग वित्तीय उन संस्थानों को अनुदान सहायता देने में प्राथमिकता दे सकता है,अन्यथा खंड के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र अधिनियम की 12B, जो

वहाँ के मामले की एक दाग रहित रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें कोई भी रैगिंग की घटना की सूचना न हो।

5. रैगिंग की घटना में प्रशासनिक कार्रवाई: रैगिंग का दोषी पाने पर संस्था छात्र को निर्धारित तरीके से और नीचे दिए गयी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सजा देगा।

- एक उपयुक्त संस्था की एंटी रैगिंग समिति दंड के संबंध में या अन्यथा तथ्यों के आधार पर प्रत्येक घटना की प्रकृति या गंभीरता या रैगिंग विरोधी दस्ते की सिफारिशों में स्थापित किया गया, के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- एंटी रैगिंग समिति, प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के अपराध का दोषी के आधार पर एंटी रैगिंग दस्ते का पुरस्कार, एक या एक से अधिक; निम्नलिखित दंड पर निर्भर करता है,
 - a) वर्गों और शैक्षिक विशेषाधिकारों में भाग लेने से सस्पेंशन.
 - b) छात्रवृत्ति / रोकना, वापिस /फेलोशिप और अन्यलाभ.
 - c) किसी भी परीक्षा / परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रदर्शित होने से रोकना
 - d) परीक्षा के परिणामों को रोक लेना
 - e) किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेंट, युवा त्योहार, आदि में प्रतिनिधित्व करने से रोकना
 - f) छात्रावास से सस्पेंशन / निष्कासन
 - g) किसी भी संस्था में प्रवेश रद्द
 - h) एक से लेकर चार सेमेस्टर की अवधि के लिए संस्था से निष्कासन
 - i) संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश बंद
- जहाँ पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का सहारा लेना होगा।
- एंटी रैगिंग समिति द्वारा सजा के आदेश के खिलाफ अपील: (i) एक संस्था के एक आदेश के मामले में जिसका संबद्धता एक विश्वविद्यालय के संघटक भाग से हो, कुलपति, विश्वविद्यालय से करेगा। (ii) विश्वविद्यालय के एक आदेश के मामले में, अपने चांसलर से। (iii) राष्ट्रीय महत्व के एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई एक संस्था के मामले में या संस्था के अध्यक्ष और चांसलर के लिए संसद में मामले के रूप में हो सकता है।

- नियुक्ति प्राधिकारी की राय में संस्था के दोषपूर्ण स्टाफ का कोई भी सदस्य रिपोर्टिंग या शीघ्र कार्रवाई करने में या रैगिंग की घटना को रोकने तथा शिकायतों की ओर एक उदासीन या असंवेदनशील का रवैया प्रदर्शित करे और रैगिंग को रोकने के लिए समय पर कदम उठाने में विफल हो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्था की निर्धारित प्रक्रिया के साथ आरंभ होगी जिस संस्था में दोषपूर्ण स्टाफ है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संस्था के प्रमुख सत्ता द्वारा नामित प्रमुख नियुक्त ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और ऐसी कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जा सकती है कि किसी भी कार्रवाई को समय पर करने की विफलता के लिए, रैगिंग के अपराध को उकसाने के लिए दंड कानून के तहत रैगिंग या किसी भी छात्र को दंडित करने के तरीके की रोकथाम में दोषी पाया जाना।

मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

1. हम नहीं चाहते कि आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। हम सब आप के साथ हैं।
2. आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए हैं। कृपया ऐसा मत सोचिये कि आप अपने माता पिता पर बोझ हैं। अगर आपकी रैगिंग हो रही है तो उनसे स्वतंत्र रूप से खुलकर बात करो, वह आपकी बात जरूर समझेंगे।
3. हम रैगिंग की रोकथाम के कार्यक्रम में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कभी भी किसी भी समय 1800 180 5522 नम्बर पर फ़ोन कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क फोन है। आप हमें helpline@antiragging.in पर एक ई मेल भी भेज सकते हैं।
4. आपका कॉलेज प्रशासन आपकी मदद करने के लिए है - कृपया मदद के लिए पूछने में संकोच नहीं करे। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी आपकी मदद करने के लिए है।
5. कोई भी किसी भी रैगिंग की घटना की शिकायत कर सकता है। यह जरूरी नहीं है की केवल शिकार ही शिकायत कर सकता है। अगर आप कोई भी रैगिंग की घटना देखे तो उसकी सूचना कॉल सेंटर को करें। ऐसा करना आपका कर्तव्य है।
6. आप भी रैगिंग की शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं - बिना नाम बताए। आपको इस विकल्प से बचना चाहिए क्योंकि विवरण जाने बिना हमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने में मुश्किल हो जाती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका विवरण गोपनीय रखा जायेगा।
7. अपनी शिकायत की जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं एंटी रैगिंग पोर्टल: www.antiragging.in

में क्यों और कैसे ऑनलाइन शपथ पत्रों का उपयोग कर सकता हूँ?

क्यों?

1. यह हर छात्र के लिए अनिवार्य है की उसकी / उसके माता पिता प्रथम प्रवेश के समय एक विरोधी शपथ पत्र और हर साल वार्षिक पंजीकरण के समय में, प्रत्येक वर्ष जमा करे। यह यूजीसी नियमों के अंतर्गत आता है।
2. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार छात्रों का विवरण इन शपथ पत्रों से एकत्र किया जाना चाहिए और एक केंद्रीय स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक संग्रहीत किया जाना चाहिए।
3. अब तक प्रत्येक कॉलेज ने ऐसी जानकारी एकत्र की है लेकिन किसी केंद्रीय स्थान में संग्रहीत नहीं की। लेकिन इस साल रैगिंग की रोकथाम कार्यक्रम विरोधी शपथ पत्रों को डाउनलोड करने के लिए एक ऑन लाइन प्रक्रिया चालू की है। परिणाम के रूप में कॉलेज के अधिकारियों को अलग से जानकारी इकट्ठा और संकलित नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और ऊर्जा की बहुत बचत होगी।

कैसे?

4. यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है
 - चरण 1: लॉग ऑन करें www.ANTIRAGGING.in
 - चरण 2: वांछित जानकारी भरें और प्रपत्र जमा करें।
 - चरण 3: सफलतापूर्वक पूरा कार्य करने पर शपथ पत्र छात्रों और माता पिता दोनों को ई मेल के माध्यम से प्राप्त होगा।
5. अगर तुम्हारे पास ई मेल नहीं है तो पहले उसे बनाने की कृपया करे। अगर तुम्हारे माता पिता के पास भी एक ई मेल / मोबाइल / लैंडलाइन फ़ोन नंबर नहीं है तो डरिये मत, दोस्तों या रिश्तेदारों का भी दे सकते हैं। वहाँ बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप एक गलती करते हैं तो एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अपना फार्म और जानकारी फिर से जमा करें। वहाँ कोई समस्या नहीं है। यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है।